UPBJ240064162022

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नजीबाबाद , बिजनौर।

एफ0आर0वाद सं0—198/2022

वादी कृष्ण मिश्रा बनाम अज्ञात।

मु0अ0सं0—17/2021

धाराः 380 भा0दं0सं0

थाना— जी.आर.पी. नजीबाबाद, जनपद—बिजनौर।

24—11—2025

पत्रावली पेश हुई। पुकारा करायी गई। बार—बार पुकार कराये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण उपरोक्त में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित किए जाने के पश्चात् परिवादी को न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था जोकि परिवादी पर बजात खास तामील है। उसके बाबजूद भी परिवादी की ओर से कोई विरोध याचिका प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 17.10.2025 को परिवादी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अन्तिम आख्या में वादी मुकदमा द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाही गयी है एवं वह विवेचनाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्तिम आख्या से संतुष्ट है, अतः अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 17/2021 मे प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 02/2022, थाना जी.आर.पी. नजीबाबाद, जनपद बिजनौर स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज, जू0डि0/जे0एम0
नजीबाबाद, बिजनौर।